न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2020 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री लीलाधर गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता विक्रेता निवासी प्लाट संख्या बी—2, अरावली विहार, नियर विवेकानन्द कॉलोनी के पास, दौसा। मैसर्स खण्डेलवाल सीजन हाउस, हॉलसेल मार्केट, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
2. श्री मुरारी लाल गुप्ता पुत्र श्री दीनानाथ गुप्ता।
   मैसर्स एस.एम. मिल्कोज, बी—35, न्यू राजधानी कृषि मण्डी, सीकर रोड जयपुर।
3. श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री बीरी सिंह, निवासी सहाराई, भरतपुर राज. नोमिनी। मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा. लि., जी 463—64, एफ 475—76, ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन, रिको धौलपुर राजस्थान।
4. मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा. लि., जी 463—64, एफ 475—76, ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन, रिको धौलपुर राजस्थान।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण बहस के दौरान अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

—: आदेश :— दिनांकः— 22.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.06.2019 को दोपहर बाद 02:45 बजे मैसर्सः— खण्डेलवाल सीजन हाउस, हॉलसेल मार्केट, सुन्दरदास मार्ग, दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री लीलाधर गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे **खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।** निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर लकडी की रैक में 1 लीटर वजन के 5 मूल शील्ड कम्पनी पैक घी(पालीवाल एगमार्क) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुआ था। इनमें मिलावट का शक होने पर 1 लीटर घी(पालीवाल एगमार्क) को खोलकर स्टील जग में नमूने की जॉच हेतु 800 ग्राम घी(पालीवाल एगमार्क) हिलामिलाकर खरीदा। जिसकी कीमत 270 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा घी(पालीवाल एगमार्क) को चार साफ सूखी एवं खाली बोतलों में बराबर—बराबर डालकर एयरटाईट ढक्कन बन्द किया व लेबल **तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने** हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलों पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारो

को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–2186 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडो में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 18.06.2019 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.06.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.06.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल एगमार्क) के नमूने की मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1459/एक्ट/2019/1017 दिनांक 1.7.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अपनी–अपनी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। बहस के दौरान अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित नहीं आये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1459/एक्ट/2019/1017 दिनांक 1.7.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल एगमार्क) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल एगमार्क) के नमूने में जांच के दौरान पाया गया है कि नमूने का फैटी एसिड प्रोफाईल घी के फैटी एसिड प्रोफाईल से मेल नहीं खाता है। इस कारणवश यह खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल एगमार्क) का विक्रय कर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 एवं 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल) का नमूना अमानक स्तर का पाया गया है। हमारे द्वारा यह खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल) बिल द्वारा ही क्रय करके विक्रय किया जाता है। अप्रार्थी अभियुक्तगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कम से कम जुर्माना किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री बीरी सिंह मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा. लि., जी 463–64, एफ 475–76, ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन, रिको धौलपुर राजस्थान द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि हमारे द्वारा घी(पालीवाल) का उत्पादन किया जाता है। यह खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का पाया गया है। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाये जाने का श्रम करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र0 सं0 : 08 / 2020 **FSSA**

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1459 / एक्ट / 2019 / 1017 दिनांक 1.7.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल एगमार्क) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने उक्त सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल एगमार्क) का आमजन को विक्रय कर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय किये जाने पर जुर्माना निर्धारित किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ घी(पालीवाल एगमार्क) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (**II**) का उल्लंघन होने पर अपराध कारित होने के कारण अप्रार्थी अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 4 पर 21000 / –(अक्षरे इक्कीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 22.06.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA** / दिनांकः– .06.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री लीलाधर गुप्ता पुत्र श्री नाथूलाल गुप्ता विक्रेता निवासी प्लाट संख्या बी–2, अरावली विहार, नियर विवेकानन्द कॉलोनी के पास, दौसा। मैसर्स खण्डेलवाल सीजन हाउस, हॉलसेल मार्केट, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
4. श्री मुरारी लाल गुप्ता पुत्र श्री दीनानाथ गुप्ता।
   मैसर्स एस.एम. मिल्कोज, बी–35, न्यू राजधानी कृषि मण्डी, सीकर रोड जयपुर।
5. श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री बीरी सिंह, निवासी सहाराई, भरतपुर राज. नोमिनी। मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा. लि., जी 463–64, एफ 475–76, ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन, रिको धौलपुर राजस्थान।
   मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्रा. लि., जी 463–64, एफ 475–76, ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन, रिको धौलपुर राजस्थान।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा